

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 03/2020

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

1. श्री सुरेश पण्ड्या पुत्र हरिशंकर जी पण्ड्या  
ब्राह्मण मालिक विक्रेता मैसर्स गायत्री ट्रेडर्स  
मेन रोड चिडीयावासा मु.पो. चिडीयावासा  
जिला बांसवाड़ा
2. श्री जयेश दोशी पिता सुमतीलाल दोशी जाति  
नेमा मालिक मैसर्स एस.के. मार्केटींग ग्राउण्ड  
फ्लोर, बाबुजी गार्डन के पास, उदयपुर रोड  
बांसवाड़ा। स्थायी पता- वार्ड नं.15 मु.पो.  
गनोडा, बांसवाड़ा

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री सुरेश पण्ड्या पुत्र हरिशंकर जी पण्ड्या  
श्री जयेश दोशी पिता सुमतीलाल दोशी

**अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011**

निर्णय

दिनांक 27-01-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 14-11-2019 को यह इस्तगसा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 31-01-2019 को 11.00 ए.एम. बजे बाहसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गायत्री ट्रेडर्स मेन रोड चिडीयावासा मु.पो. चिडीयावासा जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुरेश पण्ड्या पुत्र हरिराम जी पण्ड्या उपस्थित थे तथा विक्रेता की दुकान पर Refined Iodised Salt (Tate Salt) के 1 कि.ग्रा. के 24 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमें मिस ब्राण्ड एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त Refined Iodised Salt (Tate Salt) के 1 कि.ग्रा. वाल 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदे तथा इनकी किमत 40 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। विक्रेता से मौके पर उक्त Refined Iodised Salt (Tate Salt) के सम्बन्ध में पूछने पर मैसर्स एस.के. मार्केटींग ग्राउण्ड फ्लोर, बाबुजी गार्डन के पास, उदयपुर रोड बांसवाड़ा द्वारा बोक्सी इनवॉइस नं- SKM/18-19/033021 दिनांक 17.01.2019 प्रस्तुत कर क्रय किया जाना बताया। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जाँच हेतु खरीदशुदा उक्त चारो पैकेट को प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली बोक्स में रख कर बोक्स का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जाँच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया Refined Iodised Salt (Tate Salt) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z)(A)(i)(a), के तहत मिसब्राण्डेड, 3(1)(ZX) के तहत

न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति. जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 51 व अधिनियम 27(2)(d) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10-01-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27-01-2020 को अभियुक्त श्री सुरेश पण्ड्या पुत्र हरिराम जी पण्ड्या ब्राह्मण मालिक विक्रेता मैसर्स गायत्री ट्रेडर्स मेन रोड चिडीयावासा मु.पो. चिडीयावासा जिला बांसवाडा एवं श्री जयेश दोशी पिता सुमतीलाल दोशी जाति नेमा मालिक मैसर्स एस.के. मार्केटींग ग्राउण्ड फ्लोर, बाबुजी गार्डन के पास, उदयपुर रोड बांसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।


प्रकरण में आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 19-02-2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Refined Iodised Salt (Tate Salt) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड, 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a), के तहत मिसब्राण्डेड, 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया Refined Iodised Salt (Tate Salt) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 51 व क्र.सं 2 ने माल प्राप्ति की सूचना नहीं देकर अधिनियम 27(2)(d) का उल्लंघन किया है जिस पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री सुरेश पण्ड्या पुत्र हरिराम जी पण्ड्या ब्राह्मण मालिक विक्रेता मैसर्स गायत्री ट्रेडर्स मेन रोड चिडीयावासा मु.पो. चिडीयावासा जिला बांसवाडा को रुपये 10,000/- (अक्षरे रु. दस हजार मात्र) एवं श्री जयेश दोशी पिता सुमतीलाल दोशी जाति नेमा मालिक मैसर्स एस.के. मार्केटींग ग्राउण्ड फ्लोर, बाबुजी गार्डन के पास, उदयपुर रोड बांसवाडा को रुपये 20,000/- (अक्षरे रु. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(नरेश बुनकर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

